वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

39

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई. आर.एम.)

मुख्य श्रम आयुä(केन्द्रीय) के संगठन की गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट

3.1 मुख्य श्रम आयुä ;केन्द्रीयद्ध क्ष्मुण्श्रण्आण्;काण्द्धद्व का संगठन जिसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र भी कहा जाता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है । मुख्य श्रम आयुä ;केन्द्रीयद्ध केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अध्यक्ष हैं । इन्हें केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक

संबंध बनाए रखने, श्रम कानूनों को लागू करने और ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करने का कार्य सौंपा गया है । केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के मुख्यालय में 18 तथा फील्ड में 253 अधिकारी हैं । इन अधिकारियों
के कार्यालय, देष के भिन्न.भिन्न भागों में आंचलिक,
क्षेत्रीयएवंएकक स्तर पर हैं ।

संगठन के कार्य

3.2 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के कार्यों में मोटे तौर
पर निम्नलिखित षामिल हैं:-

औद्योगिक संबंध 3

औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निपटान

3.3 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र की
स्थापनाओं में निम्नलिखित के माध्यम से सद्भावपूर्ण
औद्योगिक संबंध सुनिष्चित करता है.

ऽ केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों को मॉनीटर
करना ।

ऽ विवादों का निपटान करने के उद्देष्य से औद्योगिक
विवादों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और सुलह कराना ।

ऽ हड़ताल और तालाबंदी रोकने के लिए हड़ताल
और तालाबंदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप ।

ऽ समझ्ाौते व पंचाट लागू करना।

ऽ ;1द्ध कार्य समिति ;2द्ध देयों की वसूली ;3द्ध कामबंदी
;4द्ध छंटनी ;5द्ध अनुचित श्रम पद्धतियों आदि से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्य प्रावधानों को लागू करना ।

3.4 वर्श 2006.2007 के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने 454 हड़ताल की धमकियों में हस्तक्षेप किया और उसके सुलहकारी प्रयासों से 445 हड़तालें रोकी जा सकीं जिसकी सफलता दर 98 प्रतिषत आंकी जा रही है । तंत्र द्वारा वर्श 2006.2007 के दौरान निपटाए गए औद्योगिक विवादों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

•êú-¦üßµÖ †ÖîªÖê×•Ö•ú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖŸÖÓ¡Ö •êú •úÖµÖÔ

ऽ केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारणएवं उनका निपटान करना ।
ऽ केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए श्रम कानूनों और नियमों को लागू करना।
ऽ पंचाट लागू करना।
ऽ अर्द्ध.न्यायिक कार्य ।
ऽ ट्रेडयूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना ।
ऽ कल्याण
ऽ अन्य विविध कार्य

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

40

श्रम कानूनों का प्रवर्तन:

3.5 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का दूसरा मुख्य कार्य उन स्थापनाओं में श्रम कानूनों को लागू करना है जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है ।यह तंत्र इसके अंतर्गत बनाए गए निम्नलिखित श्रम कानूनों और नियमों को लागू करता है:-

;पद्ध मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 तथा इसके अंतर्गत खदानों, रेलवे, वायुयातायात सेवाओंएवं बंदरगाह,घाट और जेटी के लिए बनाए गए नियम।

;पपद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा नियम।

;पपपद्ध ठेका श्रम ;विनियमनएवं उत्सादनद्ध अधिनियम, 1970 तथा नियम।

;पअद्ध समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा नियम।

;अद्ध अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार ;नियोजन का विनियमन और सेवा षर्तेंद्ध अधिनियम, 1979 और तत्संबंधी नियम ।

;अपद्ध बाल श्रम ;निशेधएवं विनियमनद्ध अधिनियम, 1986 तथा नियम।

;अपपद्ध उपदान संदाय अधिनियम, 1972एवं तत्संबंधी

नियम।

;अपपपद्धश्रम विधि ;विवरणी प्रस्तुति और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूटद्ध अधिनियम, 1988

;पगद्ध भवनएवं अन्य निर्माण श्रमिक ;नियोजन का विनियमन तथा सेवा षर्तेंद्ध अधिनियम, 1996 तथा नियम।

;गद्ध भारतीय रेल अधिनियम का अध्याय 6.क, रेल कर्मचारियों के लिए रोजगार विनियमन केघंटे।

;गपद्ध औद्योगिक नियोजन ;स्थाई आदेषद्ध अधिनियम, 1946एवं नियम ।

;गपपद्ध प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 ;खदानएवं सर्कस नियम, 1963द्धएवं नियम।

;गपपपद्धबोनस संदाय अधिनियम, 1965

3.6 केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख स्थापनाएं हैं। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी क्रैष.निरीक्षण कार्यक्रमोंऔरकार्यदल निरीक्षणोंके अंतर्गत इन स्थापनाओं का निरीक्षण करते हैं ताकि श्रमिकों को लाभप्रद कानूनों का लाभ सुनिष्चित कराया जा सके। असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद अधिनियमों जैसे बाल श्रम

•êú-¦üßµÖ †ÖîªÖê×•Ö•ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸÖÓ¡Ö «üÖ¸üÖ ×-Ö¯Ö™üÖ‹ •Ö‹ †ÖîªÖê×•Ö•ú ×¾Ö¾ÖÖ¤üÖë •úÖ ²µÖÖî¸üÖ

केन्द्रीय
औद्योगिक
संबंध तंत्र
के पास
आए
विवादों की
संख्या

विवादों की
संख्या जो
केन्द्रीय
औद्योगिक
संबंध तंत्र
द्वारा
हस्तक्षेप
हेतु
उपयुä
नहीं पाए
गए

अनौपचारिक
सुलह
कार्रवाई के
बिना
निपटाए गए
विवादों की
संख्या

उन

विवादों की
संख्या
जिनके
लिए
औपचारिक
सुलह
कार्रवाई
शुरू की
गई

सुलह
कार्रवाई
द्वारा
निपटाए
गए
विवादों
की संख्या

उन

विवादों
की संख्या
जिनमें
सुलह
कार्रवाई
असफल
रही

वर्ष के
अंत में

केन्द्रीय
औद्योगिक
संबंध तंत्र
के पास
लंबित
विवादों
की संख्या

8332 -- 1685 3047 989 2058 3600

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

41

;विनियमनएवं उत्सादनद्ध अधिनियम, 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और भवनएवं अन्य निर्माण श्रमिक ;नियोजन का विनियमनएवं सेवा की षर्तेंद्ध

अधिनियम,1996 को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाता है । निरंतर चूककरने वालों तथा गंभीर उल्लंघनों के संबंध में मुकदमे दायर किए जाते हैं । वर्श 2006.2007 के विवरण निम्नझ्.झ्ह्मईझ्झ्य्ü दिखाए गए हैं:.

*×¯Ö”û»Öê ¾ÖÂÖÔ ÃÖê †•ÖÏÖ-ÖßŸÖ ÃÖ×ÆüŸÖ

पंचाट (अवार्ड) लागू करना

3.7 केन्द्र सरकार औद्योगिकअधिकरण द्वारा स्थापित पंचाट केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्रके अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं। वर्श 2006.2007 के दौरान 2229 पंचाट ;अग्रेनित सहितद्ध प्राप्त किए गए। ५.झ्में ईझ्ट्ट 169 को लागू कर दिया गया, 523 पंचाटों पर कार्रवाई चल रही है, 838 पंचाटों को लागू करने पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी तथा 799 पंचाट अन्य कारणों से लंबित पड़े हैं। पंचाट को लागू करने में इसलिए कठिनाई आती है कि नियोजक इन्हें लागू करने के लिए उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेष ले आते हैं।यही नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत नियोजक मंत्रालयों द्वारा नियोजकोंके विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए आवष्यक स्वीकृति भी कभी.कभार ही प्राप्त होती है ।

अर्द्ध.न्यायिक कार्य

3.8 सहायक श्रम आयुä;केण्द्ध से मुख्य श्रम आयुä ;केण्द्ध स्तर के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी निम्नलिखित अर्धन्यायिक कार्य भी करते हैं.

मुख्य श्रम आयुä ;के.द्ध . भवनएवं अन्य निर्माण श्रमिक ;नियोजन विनियमन व सेवा की षर्तेद्ध अधिनियम, 1996 के अधीन महानिदेषक ;निरीक्षणद्धए औद्योगिकी रोजगार ;स्थाई आदेषद्ध अधिनियम, 1946 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण।

उप मुख्यण्श्रण्आण्;के.द्ध . औद्योगिक रोजगार;स्थाई आदेषद्ध अधिनियम, 1946 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण। ठेका श्रम ;विनियमनएवं उत्सादनद्ध ×नµझ्´झ्झ्=झ्»झ्” के नियम 25 ;2द्ध ;फद्ध ;ऽúद्ध तथा ;खद्ध के अधीन प्राधिकरण।

क्षेण्श्रण्आण्;के.द्ध. न्यूनतम ´झ्ऽझ्¤द्रüय्ü” अधिनियम,1948 के अंतर्गत प्राधिकरण । ठेका श्रम ;विनियमनएवं उत्सादनद्ध अधिनियम, 1971, उपदान संदाय अधिनियम,1972 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अधीन अपील प्राधिकरण। औद्योगिक रोजगार ;स्थाई आदेषद्ध अधिनियम, 1946 के अधीन सत्यापन अधिकारी,एचण्ओण्ईण्आरण् के अधीन रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षण

सहाण्श्रण्आण्;के.द्ध . उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रण प्राधिकारीय समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन प्राधिकारी, ठेका श्रम ;विनियमनएवं उत्सादनद्ध अधिनियम, 1970 के अधीन पंजीकरणएवं लाइसेंसिंग अधिकारी ।

विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षणों आदि को दर्शाता विवरण

अनियमितताओं की
संख्या

निरीक्षणों
की संख्या
पाई गई’ दूर की गई

दायर
अभियोजनों
की संख्या

दोषसिद्ध
की संख्या

33926 725869 317513 13556 4940

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

42

3.9 अधिनियमोंध्नियमों के अधीन इन अधिकारियों द्वारा निर्णीत मामलों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

अर्धन्यायिक कार्य की
प्रकृति

पिछले वर्ष के अग्रेनित
मामले/आवेदन/दावे

वर्ष के दौरान
प्राप्त मामले/
आवेदन/दावे

कुल निपटाए गए
मामले/
आवेदन/दावे

पंचाट राशि
(रुपये में)

उपदान संदाय
अधिनियम, 1972 के
अंतर्गत, उपदान
आवेदन पत्र (2006-07)

7589 3503 11092 3938 163974913

उपदान संदय अधिनियम,
1972 के अंतर्गत क्षेत्रीय
श्रमायुक्त द्वारा की गई
उपदान अपील

509 505 1014 395 10243540

उपदान संदय अधिनियम,
1948 के अंतर्गत क्षे.श्र.
आ. (के.) द्वारा किए दावों
का आवेदन (2006-07)

2992 1460 4452 1698 14008752

श्रे.श्र.आयुक्त (के.) स्थाई
आदेशों में प्रमाणपत्र/
संशोधन के लिए
आवेदन/(2006-07)

46 27 73 30 5668611

भवन तथा अन्य निर्माण
अधिनियम के अंतर्गत
मामले (2006-07)(अ)

291 221 512 89 43400

(†= ÃÖ³Öß †ÖÓ•ú›Íêü †-ÖÓ×ŸÖ´Ö Æï

•êú-¦üßµÖ ÁÖ×´Ö•ú ÃÖÓ‘Ö ÃÖÓ•Öšü-ÖÖë •úß ÃÖ¤üÃµÖŸÖÖ •úÖ ÃÖŸµÖÖ¯Ö-Ö

3.10 •êú-¦üßµÖ ÁÖ×´Ö•ú ÃÖÓ‘Ö ÃÖÓ•Öšü-ÖÖë ÃÖê ÃÖ´²Ö¨ü ÁÖ×´Ö•ú ÃÖÓ‘ÖÖë •úß ÃÖ¤üÃµÖŸÖÖ •úÖ ÃÖÖ´ÖÖ-µÖ ÃÖŸµÖÖ¯Ö-Ö ‹•ú ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ•ÖÔ •úÖµÖÔ Æîü ×•ÖÃÖê •êú-¦üßµÖ ÁÖ´ÖÖµÖãŒŸÖ ÃÖÓ•Öšü-Ö «üÖ¸üÖ ×•úµÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ÃÖÖ´ÖÖ-µÖ ÃÖŸµÖÖ¯Ö-Ö •úÖ ˆ§êü¿µÖ •êú-¦üßµÖ ÁÖ×´Ö•ú ÃÖÓ‘Ö ÃÖ•Öšü-ÖÖë •êú †ÓŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßµÖ †Öî¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖ´´Öê»Ö-ÖÖë, ÃÖ×´Ö×ŸÖµÖÖë, ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖë, ¾ÖêŸÖ-Ö ²ÖÖê›üÖí †Ö×¤ü ´Öë ¯ÖÏ×ŸÖ×-Ö×¬ÖŸ¾Ö ¯ÖÏ¤üÖ-Ö •ú¸ü-ÖÖ Æîü…

3.11 ४्य×त्त्झ्´झ् ²झ्झ्य्ü 12 ऽट्टú.¦ü”µझ् प्रझ्×´झ्ऽú ईझ््यश्झ् ईझ्ट्ट ईझ्´²झ्¨ü प्रझ्×´झ्ऽú ईझ््यश्झ्झ्ट्ठ ऽú” ईझ्¤üईµझ्त्त्झ्झ् ऽट्टú ईझ्त्त्µझ्झ्झिं्.झ् ऽú” ईझ््यऽझ्णना दिनांक 31.12.1989 से की गयी थी। सामान्य सत्यापन के परिणाम कीघोशणा श्रम मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1996 में की गई थी।

3.12 ´झ्झ्.झ्.झ्”µझ् उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेष दिनांक 25.7.2003 का अनुपालन करते हुए .झ्Âन्न्ü सामान्य

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

43

सत्यापन की संगणना दिनांक 31.12.2002 से की जा रही है। 13 केन्द्रीय श्रमिक संघों ने अपने 42 मिलियन के लगभग कामगारों के सदस्यता दावों को 18168 सम्बद्ध संघों के माध्यम से दाखिल किया है। सामान्य सत्यापन का प्रथम चरण अर्थात् संघों के विवरणों की श्रमिक संघों के विभिन्न पंजीयकों के रिकार्डों से जांच करने का कार्य पूरा हो गया है और सामान्य सत्यापन का दूसरा चरण अर्थात् व्यfäगत संघों के रिकार्डों की जांच और कामगारों की व्यfäगत पूछताछ का कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। सामान्य सत्यापन ऽट्टú ४.झ््य×त्त्झ्´झ् झिं्×य्üऽझ्झ्´झ् ईझ्ङझ्” 13 ऽट्टú.¦ü”µझ् प्रझ्×´झ्ऽú ईझ््यश्झ्झ्ट्ठ ऽúझ्ट्ट ईझ्झ्ड्ढझिं् ×¤ü९ ऽझ्९ र्ड्ढिü ३ ६.र्füझ्ट्ठ.झ्ट्ट ४.झ््य×त्त्झ्´झ् झिं्×य्üऽझ्झ्´झ्झ्ट्ट्य झ्यिं्ü ४झिं्.झ्” ँझ्ह्म×न्न्üµझ्झ््य ध्ष्झ्द्रऽú झ्ड्डिंईत्त्झ्ह्मत्त्झ् ऽúय्ü ¤ü” र्f्यü्य३

3.13 úऽट्टú.¦ü”µझ् प्रझ्×´झ्ऽú ईझ््यश्झ् ईझ््यऽझ्šü.झ्झ्ट्ठ ईझ्ट्ट झ्ड्डिंझ्त्त्झिं् ँझ्ध्ह्म×न्न्üµझ्झ्ट्ठध्ष्झ्द्रऽú ६झिं् ऽट्टú.¦ü”µझ् प्रझ्´झ्झ्µझ्ह्म॰त्त्झ् ;ऽट्टúण्द्धध्ऽझ्ट्टँझ्”µझ् प्रझ्´झ्झ्µझ्ह्म॰त्त्झ् ;केन्द्रीयद्ध ऽúझ्ट्ट ६.झ्ऽú” ईझ््य=झ्”ऽझ्झ् ऽúय्ü.झ्ट्ट के ×»झ्९ ङझ्ट्टऽझ् ×¤üµझ्झ् ऽझ्µझ्झ् र्f्यü ३ ऽह्मúष्ट्टûऽú ऽट्टú.¦ü”µझ् प्रझ्´झ्झ्µझ्ह्म॰त्त्झ् ;ऽट्टúण्द्ध ऽझ्ट्टँझ्”µझ् प्रझ्´झ्झ्µझ्ह्म॰त्त्झ् ;ऽट्टú.¦ü”µझ्द्ध ४ङझ्” ×य्üझ्झ्ट्टिंन्न्ड्ढü झ्ड्डिंझ्त्त्झिं् र्füझ्ट्ट.झ्” र्f्यü ३ 13 ऽट्टú.¦ü”µझ् प्रझ्×´झ्ऽú ईझ््यश्झ्झ्ट्ठ ´झ्ट्ठ ईझ्ट्ट 6 ईझ््यश्झ्झ्ट्ठ ऽú” ४झ्झिं्×¢झ्µझ्झ्ट्ठ ऽúझ् ईझ्´झ्झ्¬झ्झ्.झ् ऽúय्ü ×¤üµझ्झ् ऽझ्µझ्झ् £झ्झ् ३ {झ्ट्टÂझ् ईझ््यश्झ्झ्ट्ठ ऽú” ४झ्झिं्×¢झ्µझ्झ्ट्ठ ऽúझ् ईझ्´झ्झ्¬झ्झ्.झ् ऽúय्ü.झ्ट्ट ऽट्टú ×»झ्९ र्füय्ü ईझ््यङझ्=झ् झ्ड्डिंµझ्झ्ईझ् ×ऽú९ ऽझ्झ् य्üर्ट्टिü र्ड्ढिü ३

†-Öã¿ÖÖÃÖ-Ö ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ

3.14 •Ö²Ö •ú³Öß ÁÖ´Ö †Öî¸ü ¸üÖê•Ö•ÖÖ¸ü ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ «üÖ¸üÖ ×-Ö¤êü¿Ö ×¤üµÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü †-Öã¿ÖÖÃÖ-Ö ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ •êú †ÓŸÖ•ÖÔŸÖ ´ÖÖ-µÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ-Ö •ú¸ü-Öê •êú ˆ§êü¿µÖ ÃÖê •êú-¦üßµÖ •Öê¡Ö ´Öë ÛÃ£ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ-ÖÖë ´Öë ÃÖ×•ÎúµÖ ÁÖ×´Ö•ú ÃÖÓ‘ÖÖë •úß ÃÖ¤üÃµÖŸÖÖ •úÖ ÃÖŸµÖÖ¯Ö-Ö ´Öã•µÖ ÁÖ´ÖÖµÖãŒŸÖ (•êú-¦üßµÖ) •êú •úÖµÖÖÔ»ÖµÖ «üÖ¸üÖ ×•úµÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü …

3.15 16 ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ-ÖÖë (-µÖæÛŒ»ÖµÖ¸ü ¯ÖÖ¾Ö¸ü •úÖ¯ÖÖì¸êü¿Ö-Ö †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ ×»Ö.), ¸ü¾ÖŸÖ³ÖÖ™üÖ, ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ-Ö ´Öë 1 ÃÖê 6, •ú´²ÖÖ™üÖ ‹×¾ÖµÖ¿Ö-Ö ¯ÖÏÖ.×»Ö., †Ö‡Ô •Öß †Ö‡Ô †.-II, -Ö‡Ô ×¤ü»»Öß, †Ö‡Ô †Öê ÃÖß ‹»Ö (‹†Öê›üß) ×¤ü•Ö²ÖÖê‡Ô, •ÖÖê¾ÖÖÆüÖ™üß, ‡Ó×›üµÖ-Ö •Ö¾Ö-ÖÔ´Öë™ü Ø´Ö™ü, Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü, ´ÖÆüÖ-Ö•Ö¸ü ™êü»Öß±úÖê-Ö ×-Ö•Ö´Ö, ×¤ü»»Öß †Öî¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ×-Ö•Ö´Ö ×»Ö., ™æü™üß •úÖê×¸ü-Ö ¯ÖÖê™Ôü ™ÒüÃ™ü, ™üµÖæ™üß•úÖê×¸ü-Ö, -ÖÖ»Ö•úÖê, ˆ›ÍüßÃÖÖ, •Ö¾ÖÖÆü¸ü »ÖÖ»Ö -ÖêÆüºþ ¯ÖÖê™Ôü

™ÒüÃ™ü, ´ÖÖ‡-ÃÖ †Öò±ú ×²ÖÄÖÖ Ã™üÖê-Ö »ÖÖ‡´Ö •ú.×»Ö. ×²Ö¸ü×´Ö¡ÖÖ¯Öã¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü•ÖœÍü (ˆ›ÍüßÃÖÖ), -µÖæÛŒ»ÖµÖ¸ü °µÖæ»Ö •úÖ´¯Ö»ÖîŒÃÖ, Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü, †Ö-¬ÖÐ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×´Ö-Ö¸ü»Ö ›êü¾Ö»Ö¯Ö´Öë™ü •úÖ¯ÖÖì¸êü¿Ö-Ö ×»Ö., Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü ³ÖÖ¸ü¾Ö›ÍüÖ ×²ÖµÖÖÃÖ ´Öê-Öê•Ö´Öë™ü ²ÖÖê›Ôü (†Ö‡ Ô›ü²»µÖæ), ŸÖ»Ö¾ÖÖ›ÍüÖ, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, •êú¸ü»Ö ×´Ö-Ö¸ü»ÖÃÖ ‹•›ü ´Öê™Ëü»ÖÃÖ ×»Ö., ”ûÖ¾Ö¸üÖ, •úÖê“Öß-Ö, ØÃÖ•Ö¸êü•Öß •úÖî»ÖµÖ¸üß•Ö •ú.×»Ö., †Ö-¬ÖÐ ¯ÖÏ¤êü¿Ö, •úÖê•ú•Ö ¸êü»Ö¾Öê •úÖ¯ÖÖì¸êü¿Ö-Ö ×»Ö., ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´Öë ÃÖ×•ÎúµÖ ÃÖÓ‘ÖÖë •úß ÃÖ¤üÃµÖŸÖÖ •úÖ ÃÖŸµÖÖ¯Ö-Ö •ÖÖê¯Ö-ÖßµÖ ´ÖŸÖ¯Ö¡Ö •êú ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖê ×•úµÖÖ •ÖµÖÖ £ÖÖÍ †Öî¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ÃÖŸµÖÖ¯Ö-Ö ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ÁÖ´Ö †Öî¸ü ¸üÖê•Ö•ÖÖ¸ü ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ •úÖê ³Öê•Ö ¤üß •Ö‡Ô £Öß …

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सक्रिय संघों की सदस्यता का सांविधिक सत्यापन

3.16 27 राश्ट्रीय बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और उनके नियंत्रणाधीन बैंकों के श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन चार सांविधिक नियमोंध्स्कीमों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक ;कर्मचारी निदेषक की नियुfä नियमावली, 1974द्धय राश्ट्रीयकृत बैंक ;प्रबंधन और विविध उपबंधद्ध स्कीम 1970, राश्ट्रीयकृत बैंक ;प्रबंधनऔर विविध उपबंधद्ध स्कीम 1980 ४झ््यय्ü ईझ्र्füझ्µझ्ऽú ²झ्ड्ढऽú ;ऽú´झ्ड्ढष्झ्झ्य्ü” ×.झ्¤ट्टü{झ्ऽú ऽú” ×.झ्µझ्ह्मÛ॰त्त्झ् ×.झ्µझ्´झ्झ्=झ्»झ्”ए 1974द्ध

3.17 ²झ्ड्ढऽú के निदेषकों के बोर्ड में कर्मकार निदेषक की नियुfä के लिए वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग के अनुरोध पर मुख्य श्रमायुä ;केन्द्रीयद्ध द्वारा सत्यापन किया ×ऽúµझ्झ् है। 7 बैंकों ;×=झ्ऽझ्µझ्झ् ²झ्ड्ढऽúए µझ्द्र×.झ्µझ्.झ् ²झ्ड्ढऽú ४झ्òZंú ५्य×›üµझ्झ्ए ऽट्टú.झ्य्üझ् ²झ्ड्ढऽúए ईन्न्ट्टüन्न्ü ²झ्ड्ढऽú ४झ्òZंú ५्य¤üझ््यय्üए ईन्न्ट्टüन्न्ü ²झ्ड्ढऽú ४झ्òZंú ²झ्”ऽúझ्.झ्ट्टय्ü ९ऽ›ü ऽझ्µझ्झ्ह्मिंय्üद्ध में सक्रिय संघों के सदस्यों के सत्यापन की अन्तिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई थीं और 1.4.2007 से ४झ्×¤ü.झ्झ््यऽú त्त्झ्ऽú परिणाम ;प्रझ्´झ् ´झ््यँझ्झ्»झ्µझ् ऽúझ्ट्टद्ध सूचित कर दिए गए थे। 7 बैंकों में सक्रिय संघों की सदस्यता के सत्यापन का कार्य प्रगति पर है ३ 2 ४झ््यय्ü ²झ्ड्ढऽúझ्ट्ठ ४£झ्झ्ड्ढत्त्झ्ध् ऽúझ्झ्झ्ड्डिंय्ट्टü{झ्.झ् ²झ्ड्ढऽú ४झ््यय्ü µझ्द्र.झ्झ्५न्न्ट्टü›ü ²झ्ड्ढऽú ४झ्òZंú ५्य×›üµझ्झ्ए ऽट्टú ईझ््य²झ््य¬झ् ´झ्ट्ठ ४्य×त्त्झ्´झ् ईझ्त्त्µझ्झ्झिं्.झ् झिं्×य्üऽझ्झ्´झ् ५ईझ् =झ्Âझ्ड्ढ ऽट्टú ४्यत्त्झ् ´झ्ट्ठ र्füय्ü र्füझ्»झ्त्त्झ् ´झ्ट्ठ ×=झ्¢झ् ´झ््यँझ्झ्»झ्µझ्ए ²झ्ड्ढक्रऽúऽझ् ×.झ्¤ट्टü{झ्झ्»झ्µझ् ऽúझ्ट्ट ङझ्ट्टऽझ् ×¤ü९ ऽझ्झ्९्यऽझ्ट्ट३

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

44

ÃÖæ“Ö-ÖÖ †×¬Ö•úÖ¸ü †×¬Ö×-ÖµÖ´Ö, 2005

3.18 ÃÖæ“Ö-ÖÖ †×¬Ö•úÖ¸ü †×¬Ö×-ÖµÖ´Ö, 2005 •êú ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖë •êú †-ÖãÃÖÖ¸ü, ÁÖ´Ö †Öî¸ü ¸üÖê•Ö•ÖÖ¸ü ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ÃÖê ´Öã•µÖ ÁÖ´ÖÖµÖãŒŸÖ (•êú.) ÃÖÓ•Öšü-Ö •úÖê ³Öê•Öß •Ö‡Ô µÖÖ×“Ö•úÖ†Öë ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö•Ö³Ö•Ö 65 µÖÖ×“Ö•úÖ†Öë •úÖ ×-Ö¯Ö™üÖ-Ö ×•úµÖÖ •ÖµÖÖ …

विविध कार्य

3.19 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र निम्नलिखित विविध कार्यों का भी निश्पादन करता है:.

1ण् न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की आवधिक बैठकें आयोजित करना और अखिल भारतीय उपभोäा मूल्य सूचकांक संख्या के अनुसार प्रत्येक छमाही में परिवर्ती महंगाई भत्ता अधिसूचित करना।

2ण् विभिन्न उच्च न्यायालयों में मंत्रालय के विरुद्ध दायर रिटयाचिकाओं मेंश्रमएवं रोजगार मंत्रालय
का बचाव करना ।

3ण् श्रमएवं रोजगार मंत्रालय के निदेषानुसार षिकायतों की छानबीन करना।

4ण् विभिन्न नियोजनों में ठेके के श्रमिकों को रोकने की जांच करने के लिए विभिन्न उप समितियों के संयोजक केरूप में केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड की सहायता करना।

5ण् अन्तर्राश्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना ।

6ण् मुण्श्रण्आण् ;केद्ध संगठन द्वारा लागू विधानों पर संसद के प्रष्नों का उत्तर देने के लिए मंत्रालय को सूचना उपलब्ध करवाना ।

7ण् अखिल भारतीय स्तर की हड़तालों और अन्य श्रम ü मामलों में संघर्श की स्थिति में झिं््य¤üझ् र्füझ्ट्ट.झ्ट्ट झ्यिं्ü श्रम ४झ््यय्ü य्üझ्ट्टऽझ्ऽझ्झ्य्ü मंत्रालय को सलाह देना ।

8ण् मंत्रालय की सलाह पर संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण षिश्ट मण्डलों में भाग लेना ।

9ण् मंत्रालय के निदेषानुसार सूचनाएकत्रित करने के लिए राज्य सरकार के श्रम विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।

10ण् केण्श्रण्सेवा अधिकारियों को प्रषिक्षित करने में श्रम ४झ््यय्ü य्üझ्ट्टऽझ्ऽझ्झ्य्ü मंत्रालय की सहायता करना।

कल्याण

3.20 ईझ्र्füझ्µझ्ऽú प्रझ्´झ्झ्µझ्ह्म॰त्त्झ् ;एएल डब्ल्यूद्ध और ६झिं् प्रझ्´झ्झ्µझ्ह्म॰त्त्झ् ;›ü” एल डब्ल्यू सीद्ध रक्षा और अन्य स्थापनाओं जैसेकेण्लोण्निण्विण्ए सुरक्षा प्रेस, ×´झ्.न्न्üईझ्, आर्डिनेंसफैक्टरियों, न्न्ट्टü»झ्”ऽúझ्ò´झ्ए फैक्टरियों और अस्पताल आदि में तैनात हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। श्रम ऽú»µझ्झ्ऽझ् आयुä इन स्थापनाओं के मुख्यालय में तैनात हैं।ये अधिकारी मिलकर अपनी संबंधितस्थापनाओंमें सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिष्चित करते हैं। वे कर्मकारों का कल्याण तथा षिकायतों का निवारण, कल्याणयोजनाओं के प्रषासन का कार्य भी देखते हैं और षॉप कांउसिल, वर्क्स कमेटी आदि द्विपक्षीय समितियों के गठन के साथ.साथ विभिन्न श्रम मामलों के प्रबंधन पर सलाह देते हैं ।

¾ÖÂÖÔ (2007-08) •êú ¤üÖî¸üÖ-Ö ¯ÖÏ´Öã•Ö †ÖîªÖê×•Ö•ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‘Ö™ü-ÖÖ‹Ó ×•Ö-Ö´Öë •êú-¦üßµÖ †ÖîªÖê×•Ö•ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ŸÖÓ¡Ö -Öê ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ•ÖÔ ³Öæ×´Ö•úÖ ×-Ö³ÖÖ‡Ô

¾ÖÖµÖã ¯Ö×¸ü¾ÖÆü-Ö

3.21 ¾ÖêŸÖ-Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö †Öî¸ü •êú×¸üµÖ¸ü ˆ®ÖµÖ-Ö, ÆêüŸÖã ˆ-Ö•úß ´ÖÖÓ•ÖÖë •êú †-ÖãÃÖ¸ü•Ö ´Öë ‹µÖ¸ü •úÖ¯ÖÖì¸êü¿Ö-Ö •ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖÓ‘Ö (‹ÃÖß‡ÔµÖæ) ´Öë 17.5.2007 •úÖê ¯Öæ¸êü ³ÖÖ¸üŸÖ¾ÖÂÖÔ ´Öë 9 ²Ö•Öê ÃÖê 11.30 ²Ö•Öê (¯Öæ¾ÖÖÔÅ-Ö) •êú ²Öß“Ö œüÖ‡Ô ‘ÖÓ™êü •úÖ ¾ÖÖò•ú-†Öˆ™ü †Öî¸ü ¿Öã•Îú¾ÖÖ¸ü 18 ´Ö‡Ô, 2007 •úÖê ÃÖÖ´Öæ×Æü•ú †Ö•úÛÃ´Ö•ú †¾Ö•úÖ¿Ö •úÖ ¯ÖÖ»Ö-Ö •ú¸ü-Öê •êú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬Ö -ÖÖê×™üÃÖ ×¤ü-ÖÖÓ•ú 15.5.2007 •úÖê ‡Ó×›üµÖÖ ‹µÖ¸ü »ÖÖ‡ÓÃÖ •êú ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö-Ö •úÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×•úµÖÖ … ‹ÃÖß‡ÔµÖæ ‹µÖ¸ü ‡Ó×›üµÖÖ «üÖ¸üÖ †¯Ö-Öê 9000 •ú´ÖÔ“ÖÖ×¸üµÖÖë •êú ×»Ö‹ ×•ú‹ •Ö‹ ÃÖ´Ö—ÖÖîŸÖê •êú †-ÖãÃÖÖ¸ü, 01.01.1997 ÃÖê ¾ÖêŸÖ-Ö •êú ¯Öæ•ÖÔ ²Ö•úÖµÖÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ¾ÖêŸÖ-Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö •úß ´ÖÖÓ•Ö •ú¸ü ¸üÆüÖ £ÖÖ… ´Öã•µÖ ÁÖ´ÖÖµÖãŒŸÖ (•úê.) -Öê

17.5.2007, 28.5.2007 और 16.6.2007 जो मामले में मध्यस्थता जी। दलों द्वारा मत भिन्नता होने जे जारज 12.6.2007 जो संराधन बैठज स्थजित जर दी जई थी। एसीईयू 12.6.2007 जो 9.15 बजे रात्रि जो बिना जिसी नोटिस जे तत्जज हड़ताल पर चला जया जिससे इंडियन एयर लाइंस जे प्रचालनों में बड़े पैमाने पर रूजावट पैदा हुई ।

3.22 चूंजि मामला जाबू से बाहर हो रहा था मुज्य श्रमायुक्त (जे.) ने 13.6.2007 जो संघ जे अध्यज/महासचिव जो औद्योजिज विवाद अधिनियम जे संबंधित उपबंधों सहित संराधन जार्रवाई जे दौरान आयोजित हड़ताल जी अवैधता जी प्रभावहीनता बाते हुए एज पत्र जारी जिया और उन्हें मुज्य श्रमायुक्त (जे.) जे सामने अर्थपूर्ज संवाद हेतु आमने-सामने बैठजर चर्चा जरने जे लिए निमंत्रज दिया । इंडियन एयर लाइंस प्रबंधन ने दिल्ली जे माननीय उच्च न्यायालय जे वोजेशनल जज से एज आदेश प्राप्त जर लिया, जिसने श्रमिज संघ जे व्यवहार जो ररम जर दिया और हड़ताल 14.6.2007 जो 3 बजे सायं समाप्त जर दी जई । 15.6.2007 जो मुज्य श्रमायुक्त (जे) द्वारा संराधन बैठज आयोजित जी जई, जिसमें सभी मुद्दों पर समझौता जिया जया और मुज्य श्रमायुक्त (जे) जे सामने एज समझौता ज्ञापन पर हस्ताजर जिए जए जिसमें मुज्यत: 1.1.1997 से भत्तों जे भुजतान में संशोधन 1.1.2000 से वेतन जे पुनरीजज जे जारज 18 माह जे अन्दर बजाया जा भुजतान समझौता ज्ञापन जे साथ संलज्न फार्मुला/पैटर्न जे अनुसार जर्मजारों जे जेरियर उन्नयन में संशोधन प्रभावी होजा । समझौते से इंडियन एयर लाइंस जे लजभज 12000 जर्मचारी लाभान्वित हुए।

तेल जेत्र

3.23 वेतन पुनरीजज होने तज तत्जाल तदर्थ सहायता, 50% मंहजाई भत्ते जा विलयन और अनुलब्धियां जर जी प्रतिपूर्ति जी मांज जे अनुसरज में तेल जेत्र अधिजारी संघ (ओएसओए) ने सभी तेल जम्पनियों नामत: आरओसी, ओएमजीसी, बीपीसीएल, एचवीसी ऑयल इंडिया लि. और जेल आदि जो 21.8.2007 से अनिश्चितजालीन हड़ताल सहित प्रस्तावित/आंदोलन प्लान जे बारे में एज नोटिस प्रस्तुत जिया ।

3.24 जेत्रीय श्रमायुक्त (जे), मुंबई ने 17.8.2007 और 20.8.2007 जो संराधन जायवाहियों जा आयोजन जिया, जिसमें प्रबंधन जे प्रतिनिधि उपस्थित हुए परन्तु ओ.ए.एस.ए. जी ओर से जोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जेत्रीय श्रमायुक्त (जे), मुंबई ने 17.8.2007 जो एजतरफा अंतरिम आदेश देते हुए ओएसओए और इसजे सदस्य एसोसिएशनों जो हड़ताल पर जाने से रोज लजा दी थी। जबजि ओएसओए ने 6 बजे (पूर्व) से 10.00 बजे (पूर्व) तज हड़ताल आरम्भ जर दी, परन्तु पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 60,000/- रुपये से 1,20,000/- रुपये तज जी दर से समायोज्य अग्रिम जे तत्जाल भुजतान हेतु अंतरिम सहायता पर विचार जरने और बोर्ड जे अनुमोदन से समग्र वेतन पर जर जो पुन: स्थापित जरने जा आश्वासन देने पर प्रस्तावित हड़ताल होने से टल जई ।

बैंजिज जेत्र

3.25 3 सूचीय मांजों नामत: (i) पेंशन जे लिए दूसरा विजल्प (ii) अनुजम्पा नियुक्ति स्जीम जो फिर चालू जरना (iii) आऊट सोर्सिंज जा विरोध, जे अनुसरज में बैंज संघों जे यूनाइटेड फोरम जे संयोजज ने अध्यज, भारतीय बैंज एसोसिएशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 5वां तल, जुफपरेड, मुंबई जो दिनांज 12.9.2007 जे लिए हड़ताल पर जाने जे संबंध में हड़ताल नोटिस दिनांज 22.8.2007 प्रस्तुत जिया । मुज्य श्रमायुक्त (जे) ने मामले में मध्यस्थता जी और विभिन्न दिनांजों जो संराधन जार्यवाहियों जा आयोजन जिया । जाफी लम्बे विचार-विमर्श और समझाने जे बाद प्रबंधन सौहार्दपूर्ज हल निजालने जे उद्देश्य से सभी मुद्दों पर एज परनवोड में विचार-विमर्श आरम्भ जरने जे लिए सहमत हो जया और बैंज संघों जा यूनाइटेड फोरम भी

प्रस्तावित हड़ताल जो स्थजित जरने जे लिए सहमत हो जया । औद्योजिज विवाद अधिनियम, 1947 जी धारा 12(4) जे अंतर्जत संराधन जार्यवाहियों पर एज रिपोर्ट सचिव (श्रम) जो दिनांज 11.9.2007 जो एज रिपोर्ट भेजी जई थी।

रेल परिवहन

3.26 भारतीय रेलवे प्रबंधन द्वारा 4 वर्षों जी स्थानांतरज नीति जा उल्लंघन, पंजीजरज प्रथमिजता जी उपेजा और पात्र पंजीजृतों जा स्थानांतरज न जरने जे संबंध में उनजे विरोध जे समर्थन में अजिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, मदुरै डिवीजन ने 48 घंटों जी अवधि जे लिए प्रस्तावित हड़ताल जा नोटिस प्रस्तुत जिया। हड़ताल जी जार्य प्रजाली यह थी जि सभी ट्रेनों जो सिज्नलों पर 2 मिनट जी अवधि जे लिए रोजा जाएजा। उप श्रमायुक्त (जे) चैन्नई, जिन्हें मध्यस्थता जरने जे लिए जहा जया था, ने सूचित जिया जि समझाने पर 02.6.2007 जे लिए प्रस्तावित हड़ताल टल जई थी ।

मुज्य बंदरजाह

3.27 बंदरजाह और जोदी जामजारों जी सेवानिवृत्ति जी आयु जो 60 वर्ष जे रूप में पुनः लाजू जरने, 50% मंहजाई भत्ते जा 1.1.2005 से वेतन जे साथ विलयन तथा पेंशनर्स आदि सहित सभी जामजारों जो 1000/- रुपये प्रतिमाह जी दर से अंतरिमराहत सहित-7 सूची मांजों जे घोषजापत्र जे अनुसरज में से देश में मुज्य बंदरजाहों जे लजभज 60,000 जामजारों जा प्रतिनिधित्व जरने वाले बी एम एस (जैर-मान्यता प्राप्त) से सम्बद्ध 5 पंजीजृत परिसंघों नामतः आल इंडिया पोर्ट एज्ड डाज वर्जर्स फेडरेशन एज्ड विशाजापट्टनम पोर्ट एज्ड डॉज वर्जर्स संघ ने 1.9.2007 जो या उसजे बाद आरम्भ होने वाली हड़ताल जा नोटिस प्रस्तुत जिया । हड़ताल जा नोटिस प्राप्त जरने जे बाद मुज्य श्रमायुक्त (ज) ने मध्यस्थता जरते हुए 28.8.2007 जो संराधन जार्यवाहियां जी जई। विचार-विमर्श में जत्यावरोध उत्पन्न होने जे परिजास्वरूप मुज्य श्रमायुक्त (जे) जे हड़ताल जो रद्द जरने या जम से जम इसे स्थजित जरने जी परिसंघों से नयी अपील जरते हुए हड़ताल जो टालने जे लिए अंतिम रूप से प्रयास जिया ताजि मुद्दों जा शांतिपूर्ज ढंज से समाधान जरने जे लिए आजे विचार-विमर्श जिया जा सजे जिसजे लिए परिसंघ समझाने जे बाद सहमत हो जया और प्रबंधन द्वारा मुद्दों जा समाधान जरने जे लिए 1 सितम्बर, 2007 से 20 दिनों जे लिए हड़ताल जो स्थजित जरने जा निर्जय लिया । 21.9.2007 जो अयोजित संराधन जार्यवाही जे दौरान संघों ने सूचित जिया जि जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली ने बंदरजाह और जोदी जामजारों जी सेवानिवृत्ति जी आयु जो 60 वर्ष जे रूप में पुनः स्थापित जरने जी संघ जी मांज जो स्वीजार जर लिया है और अन्य मुद्दों जो संघों जे साथ द्विपजीय विचार-विमर्श जे माध्यम से हल जर लिया जाएजा । इस आश्वासन जे साथ संघ ने एज तरफा निर्जय लेते हुए हड़ताल जा नोटिस वापस ले लिया।

e[; Jek;ä (d.) lxBu dnf’V{k= dk fooj.k

- lkekftd Hkkxhnkjk rFkk vFk0;oLFkk d fgrk dh lj{kk dju e leFk Je dkuuk dk ljyhdj.kA
- 0;kid fo/kku d ek/;e l vlxfBr {k= d dkexkjk d fy, lkekftd lj{kk mik;k dh lj{kk
- mud lkFk vFki.k lokn vkj fu;fer ikjLifjd iHkko d ek/;e l ljk/ku lokvk] i”kklu vkj lkekftd Hkkxhnjk dh vk”kkvk dk ijk dju d fy, Je dkuuk dk ioru और vFk0;oLFkk rFkk of”od nf’Vdk.k e भावी परिवर्तन vkj vf/kd l/kkj ykuk
- lHkh fu;k tuke dkexkjk d fy, jk’Vh; U;ure etnjh सुनिश्चित djuk
- e[; Jek;ä (d.) संजठन dk if”kf{kr vkj ifjr depkjh miyC/k djokuk tk fd fujUrj if”k{k.k vkj fodkl dk;Øek d ek/;e l vfHke[k gkA

- पूरे देश में ज म्प्यूटर -नेटवर्ज जे माध्यम से लजातार अद्यत-न जिए जा-ने जी सुविधा सहित vk|kfxd lc/kk] i"kklu vkj Je dkuuk d ioru l lcf/kr jk'Vh; Lrj d vkdMk dk lxg.k(MkVk cd) j[kk tkuk A

व्यवसाय संघ अधि-नियम, 2006

3.28 व्यवसाय संघ अधि-नियम, 1926 में -नियोजजों और जामजारों जी ट्रेड यूनि-य-नों जे पंजीजरज से संबंधित उपबंधों जी व्यवस्था है और जुछ मामलों में यह पंजीजृत ट्रेड यूनि-य-नों से संबंधित विधि जो परिभाषित जरता है । यह ट्रेड यूनि-य-नों जो विधायी और -नियमित दर्जा प्रदा-न जरता है । यह अधि-नियम संबंधित राज्य सरजारों द्वारा शासित होता है ।

3.29 ट्रेड यूनि-य-न अधि-नियम, 1926 जा संशोध-न हो चुजा है और 09.01.2002 से लाजू हो जया है। इस संशोध-नों जा उद्देश्य संजेप में ट्रेड यूनि-य-नों जा ज्रमिज विजास और यूनि-य-नों जी बहुलता घटा-ना तथा आंतरिज लोजतंत्र जो बढ़ावा दे-ना सुनि-श्चित जर-ना है ।

vk|kfxd fookn vf/kfu;e] 1947 e l"kk/ku iLrko

3.30 vk|kfxd fookn vf/kfu;e] 1947 e vk|kfxd fooknk dh tkp o lek/kku dk iko/kku g A bl vf/kfu;e dk e[; mÌ"; fu;kt d vkj dedkjk d chp lkgkni.k ,o e/kj lc/k LFkkfir djuk o mUg c<kok nuk] fu;kt dk vkj fu;kt dk] fu;kt dk o dedkjk ;k dedkjk vkj dedkjk d chp vk|kfxd fooknk dh tkp djuk o lek/kku inku djuk ; vo/kgMrkyk o rkykcfn;k dk Vkyuk ; dkecnh o NVuh d ekeyk e dedkjk dk jkgr nuk rFkk lkefgd lkndkfjrk djuk g A

3.31 राष्ट्रीय साझा -यू-नतम जार्यज्रम जो दृष्टिजत रजते हुए जि उद्योज और श्रमिज संघों जे साथ परामर्श जे पश्चात् श्रम जा-नू-नों में परिवर्त-न जिया जाए, श्रम और रोजजार मंत्रालय -ने पजधारियों जे साथ त्रिपजीय परामर्श जिया और औद्योजिज विवाद अधि-नियम, 1947 में संशोध-न हेतु जतिपय प्रस्तावों जे प्रारूप तैयार जिए हैं । प्रस्तावों जे प्रारूप जे-न्द्रीय मंत्रालयों/विभाजों जे साथ विचार-विमर्श जे स्तर पर हैं ।

ckxku Je vf/kfu;e] 1951

3.32 जे-न्द्रीय सरजार द्वारा 1951 में बाजा-न श्रम अधि-नियम, 1951 -नामज एज जे-न्द्रीय विधा-न अधि-नियमित जिया जया । यह अधि-नियम वर्ष 1954 से प्रभावी है । अधि-नियम जो उ-न राज्य सरजारों द्वारा प्रवर्त्तित जिया जाता है, जो अधि-नियम जे अधी-न मुज्य -निरीजज जो म-नो-नीत जरते हैं। अधि-नियम जे अंतर्जत मुज्य -निरीजज संबंधित राज्य सरजारों द्वारा ब-नाए जए नियमों जे आधार पर चिजित्सा सेवाओं से संबंधित जल्याज योज-नाओं, शिजा जी सुविधा, आवास जी सुविधा, पेयजल जी सुविधा, सफाई एवं शौचालयों जी सफाई आदि सुविधाओं जो सुनि-श्चित जरते हैं । तथापि, 1951 से राज्य सरजारों जी सामाजिज-आर्थिज स्थिति, आधारभूत सुविधाएँ, तथा जल्याजजारी जतिविधियों में जाफी प्रजति हुई है ।

3.33 राष्ट्रीय साझा -यू-नतम जार्यज्रम जे अ-नुसार जि उद्योज और श्रमिज संघों जे साथ परामर्श जे पश्चात् श्रम जा-नू-नों में परिवर्त-न लाया जाए श्रम और रोजजार मंत्रालय -ने पजधारियों जे साथ त्रिपजीय परामर्श जिया और बाजा-न श्रम अधि-नियम में संशोध-न हेतु जतिपय प्रस्तावों जे प्रारूप तैयार जिए हैं । प्रस्तावों जे प्रारूप जे-न्द्रीय मंत्रालयों/विभाजों जे साथ विचार-विमर्श जे स्तर पर हैं ।

औद्योजिज -नियोज-न (स्थायी आदेश) जे-न्द्रीय (संशोध-न) -नियमावली, 2007

3.34 औद्योजिज -नियोज-न (स्थायी आदेश) अधि-नियम, 1946 जी अ-नुसूची में -निर्धारित अवधि -नियोज-न जर्मजार शामिल जर-ने जे लिए सरजार -ने औद्योजिज -नियोज-न

(स्थायी आदेश) जे-द्रीय नियमावली, 1946 में संशोध-ा जिया है और अधिसूच-ाा संज्या जीएसआर 936(ङ) दि-ांज 10.12.2003 द्वारा आदर्श स्थाई आदेशों जो औद्योजिज नियोज-ा (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 जे साथ संलज्न जिया है ।

3.35 राष्ट्रीय साझा -यू-ातम जार्यक्र म जो दृष्टिजत रजते हुए उपर्युक्त अधिसूच-ाा जो जो निरस्त जर-ो जा निर्जय लिया जाए और तद-ुसार, पूर्ववत अधिसूच-ाा जो निरस्त जर-ो वाला आदेश 10.10.2007 जो जारी जिया जया था ।

vk|kfxd lc/kk dk vuoh{k.k

3.36 1981 e LFkkfir Je lc/kh vuoh{k.k ,dd LFkkfud gMrkyk/rkykcfn;k dh l[;k d fooj.k rFkk ble lyXu Jfedk dh l[;k vkj Jfed fnolk dh gkfu] NVuh dk n"kku okyh bdkb;k dh l[;k vkj जामबंदी dh lhek d vk/kkj ij vk|kfxd lketL; dk ekuhVj djrh g A

3.37 2005 में 456 हड़तालों और तालाबंदियों जे मुजाबले 2006(अ) में इ-ाजी जुल संज्या 420 है । इ-ा रूजावटों जे जारज प्रभावित हुए जामजारों जी संज्या में 2005 जे मुजाबले 38% जी जमी हुई है।

3.38 हड़तालों और तालाबंदी जी संज्या जा स्था-ािज/ उद्योजवार विवरज तथा इसजे फलस्वरूप प्रभावित श्रमिजों जी संज्या समा-ा -ाहीं है । राज्यों में पश्चिम बंजाल में सबसे अधिज हड़तालें एवं तालाबंदी जी घट-ााएं हुई उसजे बाद तमिल-ााडु, जुजरात और आ-ध्र प्रदेश जा स्था-ा रहा। वर्ष 2006 में पश्चिम बंजाल में 173 हड़ताल तथा तालाबंदी जी घट-ााएं हुई । तमिल-ााडु, जुजरात, आ-ध्र पद्रेश, राजस्था-ा, और ज-ार्टाज में हड़ताल तथा तालाबंदी जी क्रमश: 61, 27,20, 17 और 16 घट-ााएं हुई ।

3.39 औद्योजिज अस्थिरता जे जारज जार्यदिवसों जी जति जा जर्मजारों पर सीधा प्रभाव प्रड़ता है । सामूहिज स्तर पर, हड़ताल और तालाबंदी जे जारज जार्य दिवसों जी जति में 2005 जे मुजाबले 2006 में पर्याप्त जमी आई है । 2006(अ) में हड़ताल और तालाबंदियों जे जारज जुल जार्य दिवसों जी जति 20.27 मिलिय-ा थी जबजि वर्ष 2005 में वह 29.66 मिलिय-ा थी ।

3.40 हड़तालों और तालाबंदियों जी संज्या से पता चलता है जि अधिजांश औद्योजिज अशांति मुज्यत: अ-ाुशास-ाही-ाता एवं हिंसा, मजदूरी तथा भत्तों जा भुजता-ा -ा जिए जा-ो, बो-ास, व्यक्तिजत मामले, बो-ास, छंट-ाी आदि से संबंधित हैं । 2006(अ) जे दौरा-ा 35% हड़तालों और तालाबंदियों जे पीछे अ-ाुशास-ाही-ाता मुज्य अ-ानियत घटज रहा, जबजि इ-ा उपद्रवों में से 19% जा मुज्य जारज मजदूरी से संबंधित मुद्दे थे ।

बंदी

3.41 2006(अ) में जे-द्रीय और राज्य जेत्रों में बंदी से प्रभावित हो-ो वाली इजाइयों जी संज्या 168 है। 32 मामलों में वित्तीय अभाव बंदी जा जारज था, जबजि इस अवधि जे दौरा-ा 7 बंदियों जा मुज्य जारज मांज जा अभाव था । सभी बंदी जी घट-ााएं निजी जेत्र में घटित हुई।

dke-cnh

3.42 बिजली, जच्चे माल जी जमी, स्टॉज इक्ट्ठा हो-ो या मशी-ारी जराब हो-ो जे जारज जिसी नियोक्ता द्वारा- जिसी जर्मजार जो जिसजा -ााम औद्योजिज स्थाप-ाा जे हाजिरी रजिस्टर में है और जिसजी छंट-ाी -ाहीं जी जई है उसे रोजजार दे-ो में असफलता, म-ाा जर-ो या असमर्थता जो जामबंदी जे रूप में परिभाषित जिया जा सजता है। यह आमतौर पर औद्योजिज इजाई जे समज सप्लाई में आ-ो वाली जठि-ााइयों जो दर्शाता है जिससे जपत में जमी आती है । 2006(अ) में 2005 जी तुल-ाा में जामबंदी से प्रभावित इजाइयों जी संज्या 104 से जाफी घटजर 50 रह जई । सभी 50 जामबंदी मामले राज्य जेत्र में घटित हुए । जामबंदी जे जारज प्रभावित जामजारों जी संज्या भी 2005 में 12255 से जाफी घटजर 2006(अ) में 8299 रह जई।

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

49

NaVuh

3.43 छंटनी से प्रभावित इकाइयों की संख्या 2005
की तुलना में 2006 में 35 सेघटकर 24 हो गई है ३ इस अवधि के दौरान छंटनी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या 2184 से श्झ्न्न्üऽúय्ü2006;४द्ध ´झ्ट्ठ 884 हो गई । 2006;४द्ध में झिं््यऽझ्”ऽन्नúत्त्झ् ष््यûन्न्ü.झ्” ऽट्टú ´झ्झ्´झ्»झ्झ्ट्ट्य ´झ्ट्ठ ईझ्ट्ट 19 य्üझ्ऽµझ् ऽझ्ट्टँझ् ´झ्ट्ठ £झ्ट्ट ऽझ्²झ्×ऽú 5 ऽट्टú.¦ü”µझ् ऽझ्ट्टँझ् ´झ्ट्ठ £झ्ट्ट३

3.44 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय
अख में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, 100 अथवा अधिक व्यfäµझ्झ्ट्ठ को नियोजित करने वाली स्थापनाओं की बंदी, छंटनी अथवा कामबंदी को लागू करने से पूर्व विहित आवेदन फार्म में समुचित सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। इस मंत्रालय में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले और केन्द्रीय सार्वजनिकक्षेत्र उपक्रमों और अन्य स्थापनाओं से आवेदन प्राप्त होते हैं। इन आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और प्रबंधन की प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित मामलों पर प्रबंधन तथा कामगारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई के अवसर दिए जाते हैं। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक और लिखित निवेदन के आधार पर और प्रबंधन के आवेदन के औचित्यध्यथार्थता पर विचार करते हुए बंदी, छंटनी अथवा कामबंदी के लिए अनुमति प्रदान करने अथवा अनुमति प्रदान न करने का निर्णय लिया जाता है। जहां.कहीं अनुमति प्रदान की जाती है,यह सुनिष्चित किया जाता है कियथासंभव कामगारों के हित संरक्षित रहें ।

औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां

3.45 ४झ््य्रझ्ट्ट×ऽझ्ऽú ×ँझ्झिं्ऽझ्”µझ् ईझ्×´झ्×त्त्झ्µझ्झ्ट्ठ ऽúझ् ऽझ्šü.झ् त्रिपक्षीय
भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। µझ्ट्ट ×ँझ्झिं्ऽझ्”µझ् ईझ्×´झ्×त्त्झ्µझ्झ्कृ ´झ््यष्झ् झ्ड्डिं¤üझ्.झ् ऽúय्üत्त्झ्” र्ड्ढिü ×ऽझ्ईझ्ऽट्टú त्र्üझ्य्üझ्ए ईझ्झ्´झ्झ्×ऽझ्ऽú ङझ्झ्ऽझ्”¤üझ्य्ü ४झ्त्त्£झ्ऽú ईझ्ह्म¬झ्झ्य्üझ्ट्ठ ईझ्ट्ट झ्ड्डिंङझ्झ्×=झ्त्त्झ् ६्रझ्ट्टऽझ्झ्ट्ठ ४झ््यय्ü ऽúझ्´झ्ऽझ्झ्य्üझ्ट्ठ ऽú” ऽú×šü.झ्झ्५µझ्झ्ट्ठ ऽúझ् ´झ्द्र»µझ्झ््यऽú.झ् ऽúय्ü ईझ्ऽúत्त्झ्ट्ट र्ड्ढिü ३ µझ्ट्ट ईझ्×´झ्×त्त्झ्µझ्झ्कृ ऽझ््यय्ü.ईझ्झ््य×=झ्×¬झ्ऽú ई£झ्झ्µझ्” ईझ्×´झ्×त्त्झ्µझ्झ्कृ र्ड्ढिü ×ऽझ्.झ्ऽú” ²झ््यšüऽúझ्ट्ठ ऽúझ् ४झ्µझ्झ्ट्टऽझ्.झ् ऽझ्²झ् ऽúङझ्” ४झ्ट्टिं×ऽझ्त्त्झ् र्füझ्ट्ट ×ऽúµझ्झ् ऽझ्झ्त्त्झ्झ् र्f्यü ३ ईझ्य्üऽúझ्य्ü

•úß ¯ÖÏ×ŸÖ×•ÎúµÖÖ¿Öß»Ö ³Öæ×´Ö•úÖ ÃÖê ×-ÖµÖÖê•Ö•úÖë †Öî¸ü •úÖ´Ö•ÖÖ¸üÖë •êú ×ÆüŸÖÖë •úÖê ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔ•ú ÃÖã´Öê×»ÖŸÖ ×•úµÖÖ Æîü ×•ÖÃÖ•úê ¯Ö×¸ü•ÖÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Ö ™ü•ú¸üÖ¾Ö •úÖ ¸ü¾ÖîµÖÖ, ÃÖÆüµÖÖê•Ö •êú ºþ¯Ö ´Öë ¯Ö×¸ü¾ÖÙŸÖŸÖ ÆüÖê •ÖµÖÖ Æîü …

3.46 †Öšü †ÖîªÖê×•Ö•ú ×¡Ö¯Ö•ÖßµÖ ÃÖ×´Ö×ŸÖµÖÖë ´Öë ÃÖê •úÖò™ü-Ö

™êüŒÃÖ™üÖ‡»ÃÖ, •Öæ™ü, ÃÖ›Íü•ú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü-Ö, ×²Ö•Ö»Öß ÃÖé•Ö-Ö ‹¾ÖÓ ×¾ÖŸÖ¸ü•Ö, ‡Ó•Öß×-ÖµÖØ¸ü•Ö, “Öß-Öß ŸÖ£ÖÖ ¸üÃÖÖµÖ-Ö †Öî¸ü ²ÖÖ•ÖÖ-Ö ˆªÖê•Ö ´Öë ÃÖê ¯ÖÏŸµÖê•ú ´Öë ‹•ú ÃÖ×´Ö×ŸÖ Æîü … ²ÖÖ•ÖÖ-Ö, •úÖò™ü-Ö, ™êüŒÃÖ™üÖ‡»ÃÖ, ÃÖ›Íü•ú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü-Ö †Öî¸ü ×²Ö•Ö»Öß ÃÖé•Ö-Ö ‹¾ÖÓ ×¾ÖŸÖ¸ü•Ö •úß †ÖîªÖê×•Ö•ú ×¡Ö¯Ö•ÖßµÖ ÃÖ×´Ö×ŸÖµÖÖë •úß ²Öîšü•úÖë •úÖ †ÖµÖÖê•Ö-Ö •Îú´Ö¿Ö: 26.08.2005, 30.6.2006 †Öî¸ü 7.7.2006 †Öî¸ü 27.1.2007 •úÖê ×•úµÖÖ •ÖµÖÖ £ÖÖ …

न्यायनिर्णयन

3.47 केन्द्र सरकार के 17 औद्योगिक न्यायाधिकरण.
एवं.श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई है जो उन औद्योगिक विवादों पर कार्रवाई करते हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है । वर्श 2003.2004 ४झ््यय्ü 2004.2005 के दौरान गुवाहाटी, अहमदाबाद, ९ऽझ्झ्ड्ढऽह्मúलम;कोचीनद्ध, दिल्ली और चण्डीगढ़ में पांच .झ्९ केन्¦ü सरकार के औद्योगिक अधिकरणएवं श्रम न्यायालयों को स्थापित किया गया है ×ऽझ्ईझ्ईझ्ट्ट ५.झ्ऽú” ऽह्मú»झ् संख्या 22 हो गई है । इसके अतिरिä, जहां पर केन्द्र सरकार का औद्योगिक न्यायधिकरणएवं.श्रम न्यायालय नहीं हैं वहां औद्योगिक विवादों के निर्णयन के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा स्थापित औद्यागिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों का भी उपयोग करती है।

3.48 लम्बित पड़े मामलों की संख्या कम करने के
लिए केन्द्र सरकार के औद्योगिक अधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया ×ऽúµझ्झ् ऽझ्झ् य्üर्füझ् र्f्यü ×ऽझ्.झ्ऽट्टú ´झ्झ्¬µझ्´झ् ईझ्ट्ट 1524 ´झ्झ्´झ्»झ्झ्ट्ठ ऽúझ् ×.झ्झ्न्निं्üझ्.झ् ×ऽúµझ्झ् ऽझ्µझ्झ् र्f्यü ×ऽझ्.झ्´झ्ट्ठ ईझ्ट्ट 2006.2007 ´झ्ट्ठ 326 ´झ्झ्´झ्»झ्झ्ट्ठ ४झ््यय्ü 2007.08 ´झ्ट्ठ ४ङझ्” त्त्झ्ऽú 42 ´झ्झ्´झ्»झ्झ्ट्ठ ऽúझ् ×.झ्झ्न्निं्üझ्.झ् ×ऽúµझ्झ् ऽझ्µझ्झ् र्f्यü ३

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

50

विवाचन बोर्ड ;संयुä सलाहकार तंत्रद्ध

3.49ण् भारत सरकार ने, नियोäा केरूप में अपने कर्मचारियों की महासमिति के मध्य मतभेदोंको सुलझ्ााने हेतु संयुä सलाहकार मषीनरीएवं अनिवार्य विवाचन के लिए सन् 1966 मेंएकयोजना रखी ।

3.50यहयोजना वेतन और भत्तों के संबंध में, सरकार के कार्य दिवसों के संबंध में और किसी वर्ग अथवा स्तर के कर्मचारियों के अवकाष के संबंध में अनिवार्य विवाचन उपलब्ध करवाती है। इसयोजना के अन्तर्गत जुलाई,

1968 मेंएक विवाचन बोर्ड;जेण्सीण्एमण्द्ध का गठन किया गया । बोर्ड मेंएक अध्यक्ष तथा दो सदस्य रखे गये। अध्यक्ष की नियुfä पूरे समय के लिए स्थायीरूप से तथा सदस्यों की नियुfä श्रम मंत्रालय द्वारा बोर्ड को विवादित मामले सौंपते समय अपने स्टाफ तथा पदाधिकारियों के
पैनल से की जाती है ।

3.51 30.11.2007 •úß ÛÃ£Ö×ŸÖ •êú †-ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖ“Ö-Ö
²ÖÖê›Ôü •úÖê ³Öê•Öê •Ö‹ 259 ´ÖÖ´Ö»ÖÖë ´Öë ÃÖê ²ÖÖê›Ôü -Öê 257 ´ÖÖ´Ö»ÖÖë
´Öë ¯ÖÓ“ÖÖ™ü ×¤üµÖÖ Æîü …

*****